nt>

Title: Need to accord the status of `Nagar Palika' to the Cantonment Board at Ranikhet, Uttaranchal.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत रानीखेत कैन्टोनमैंट बोर्ड स्तित है। इस बोर्ड को बने हुए 100 साल से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इस बोर्ड की सीमा क्षेत्र के भीतर लगभग 30 हजार नागरिक आबादी है जिसमें व्यापारी, कर्मचारी, उद्यमी, हर वर्ग के लोग हैं। यहां निवास करने वालों के अपने आवासीय मकान, दुकान, होटल प्रतिठान आदि हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सहित दर्जनों अन्य शिक्षण संस्थान एवं केन्द्रीय व प्रादेशिक कार्यालय आदि भी स्थित हैं। कैन्टोनमैंट बोर्ड के साथ सेना की तैनाती रहने के कारण नागरिकों के आवागमन तथा अन्य विकास कार्यों पर सेना के अधिकारियों द्वारा रोक-टोक रहती है तथा नगर का विकास अवरुद्ध होने के साथ-साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है।

इन्हीं कारणों के चलते यहां की जनता आज़ादी के बाद से ही इस कैन्टोनमैंट बोर्ड को नगरपालिका बनाये जाने की मांग करती आ रही है। इसके लिए समय-समय पर उग्र आंदोलन, धरने, प्रदर्शन भी हुए हैं। कुछ वा पूर्व अम्बाला कैन्टोनमैंट बोर्ड को नगरपालिका का दर्जा दिया जा चुका है। रानीखेत कैन्टोनमैंट बोर्ड को नगरपालिका बनाये जाने हेतु उत्तरांचल शासन द्वारा अपनी सहमति भी प्रकट की गई है। मेरे द्वारा पूर्व में भी लोक सभा में इस विाय को समय-समय पर उठाया गया है और रक्षा मंत्रालय के साथ पत्र-व्यवहार भी किया गया है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि रानीखेत कैन्टोनमैंट बोर्ड क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें।